संख्या-634/2017/422/22-2-2017-17(254)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 10 अगस्त, 2017***

विषय:- जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी रानी तिवारी पत्नी श्री उमाशंकर निवासी जनपद-कानपुर नगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42941/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-28.10.2016 दिनांक 02.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी रानी तिवारी पत्नी श्री उमाशंकर, निवासी-म0नं0-305 डी0 ब्लाक पनकी, थाना-पनकी, जनपद-कानपुर नगर की रहने वाली है। महिला बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 11.07.2013 को अपने 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर शिखा तिवारी की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-773/2013 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 302/34 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (एस0सी0एस0टी0एक्ट), कानपुर नगर के आदेश दिनांक 08.12.2014 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.03.2016 तक 02 वर्ष 07 माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 02 वर्ष 11 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 02 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे हैं तथा 01 अन्य सहअभियुक्त् की किशोर न्याय बोर्ड को पत्रावली भेजी गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है लेकिन जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा महिला बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि महिला बन्दी रानी तिवारी (बन्दी संख्या-1017/14) पत्नी श्री उमाशंकर, निवासी-जनपद-कानपुर नगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-634/2017/422/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in